

{उत्तराखण्ड विधान मण्डल(सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम,2008 की धारा 5(1) देखिये।}

1-सदस्य का नाम..... सदस्य विधान सभा

2-जिला

3-वाहन संख्या

4-मैं एतद्वारा घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त वाहन मेरे नाम से रजिस्ट्रीकृत है।

मैं विकल्प देता हूं कि कूपन वर्ष.....के दौरान मुझे दिए जाने वाले रेल कूपनों में से मेरे वाहन संख्या..... के लिये पेट्रोल या डीजल हेतु सम मूल्य के रेल कूपनों के बजाय इस माह मुझे रुपये नकद दिया जाये।

(हस्ताक्षर).....

(सदस्य,विधान सभा)

(दिनांक)

यह प्रमाणित किया जाता है कि पूर्व में प्राप्त की गई धनराशि रू0 का उपयोग डीजल/पेट्रोल क्रय करने में कर लिया गया है।

(हस्ताक्षर).....

(सदस्य,विधान सभा)

(दिनांक)